SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998 IN THE COURT OFJ.M.F.C., Gohad, DIST Bhind (M.P)
Case No. 327/17 Complaint or report madeon
Case No
. 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
21/280 MES
Name , parentage, caste and address of accused
कि जाता प्राण भागाना के हैं है कि प्राण के का
क्रिया प्राचित्र प्राचित्र कार्य क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र कार्य
BANGARAN BANGAN BAN BANGAN BANGAN BANGA
The offence, complainant of, and date of, its alleged commission
The offence, complantation, and date of, its atteged commission
आप पर आरोप है कि दिनांक 23-11-12 मुकाम् वारा ८० होट २०६९
MAD GOT SHES
में आम रोड परटि.१५ किला करते हुये मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहे थे
जो कि धारा 34–3 पुलिस अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है।
क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।
War nett
The plea of the accused and his examination (if any)
The plea of the accused and his examination (if any)
(A)61/2
1 gal 25

The offence proved. If any and in case under clasue(d) clasuse(f) clause(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

//निर्णय//

(आज दिनांक 5/2-17 को घोषित)

01. <u>अ</u> भियुक्त के विरूद्ध धारा <u>34 (3)</u>	पुलिस अधिनियम के तहत
समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये	जान पर आमधुपत रा (स्पन्छापूपक
जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।	

- 02. संक्षिप्त विचारण किया गया। अतः अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 34–3 पुलिस अधिनियम के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है।
- 03. अभियुक्त को धारा 34–3 पुलिस अधिनियम के तहत रूपये 🔼 शब्दों में
- जाने पर का साधारण कारावास की सजा भुगतायी जावे।
- 04. जप्तषुदा सम्पत्ति कुछ नहीं ।

मेरे निर्देशन पर टंकित